

भारतीय डाक विभाग
कार्यालय निदेशक, प्रधान डाकघर, नई दिल्ली-110001

सेवा में

केन्द्रीय लोक जन सूचना अधिकारी
रेलवे बोर्ड, रेल भवन
नई दिल्ली - 110001



पत्रांक:-बी-2/विधिध-556/सू0 का अ0 अधि0'05/2015-16 दिनांक 23-12-2015

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना।

श्री/श्रीमती भीनाक्षी सिंह, 179 आर, टाईप -2, तृतीय तल, आरम बाग, चित्रगुप्त रोड़, पहाडगंज, नई दिल्ली 110055 का आवेदन पत्र दिनांक 23.12.2015 के सदर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो की इस कार्यालय मे दिनांक 23-12-2015 को प्राप्त आवेदन पत्र आपको इस आशय के साथ प्रेषित किया जाता है कि आप वांछित सूचना आवेदक को सीधे उपलब्ध कराएँ, क्योंकि यह आपके कार्यालय को संबंधित है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 6(3) के अंतर्गत उपरोक्त आवेदन आपको स्थानांतरित किया जाता है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत 10 रु. का पोस्टल ऑर्डर (नं. 32 एफ 193412) इस पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नक : यथोक्त

पी. आर. कर्मा
कै. स. लो. सू. अ. एवं
सहायक निदेशक (प्रशासन)

प्रधान डाकघर, नई दिल्ली-110001

प्रतिनिधि :-

श्री/श्रीमती भीनाक्षी सिंह, 179 आर, टाईप -2, तृतीय तल, आरम बाग, चित्रगुप्त रोड़, पहाडगंज, नई दिल्ली 110055 - को सूचनार्थ।

AMJ

56572
11/16
20/12
20/12

आर0टी0आई0

दिनांक: 23/12/15

सेवा में,
श्रीमान सी0पी0आई0ओ0
रेलवे बोर्ड
नई दिल्ली (रेल भवन)

Sub: Information Required Under Sub-Section (i) of Section -6, RTI Act, 2005

महोदय,

कृपया बताएं रेलवे पार्सल बोगी (SLR) में लगेज (Luggage) की परिभाषा क्या है? इसमें क्या कोई भी सामान बुक किया जा सकता है, जैसे हार्ड पार्सल, वजन क्षमता एक टन, दो टन, तीन टन, चार टन, 30 प्रतिशत अतिरिक्त किराया देकर।

कृपया समय रहते आर0टी0आई0 का उत्तर देने का कष्ट करें।

Enclosed

*An IPO of Rs-10/- as RTI fees
Bearing No- 32F 198412 95-23/12/15
is enclosed herewith.*

प्रार्थी

Meenakshi Singh

मीनाक्षी सिंह
179 आर, टाईप-2, तृतीय तल,
आरम बाग, चित्रगुप्त रोड़, पहाडगंज,
नई दिल्ली-110055